

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-207 / 2010  
 संस्थित दिनांक-18.03.2010  
 फाईलिंग क्र.234503000792010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

श्याम कुमार पिता बसंत सिंह टेकाम, उम्र-31 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम खुर्शीपार, थाना गढ़ी,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-05/02/2016 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 304(ए) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-10.02.2010 को रात्रि 10:30 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में लोकमार्ग पर वाहन बोलेरो क्रमांक-एम.पी-50/टी-0221 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत घुड़नलाल को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया तथा मृतक मोहनलाल की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती एवं आहतगण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया एवं दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-10.02.2010 को रात्रि 10:30 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में मोहनलाल अपनी पैशन प्लस मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-05-7827 से घुड़नलाल के साथ बस स्टैंड तरफ आ रहा था, तभी छतरसिंह तेकाम की बुलेरो वाहन क्रमांक-एम.पी-50/टी-0221 के

चालक ने उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर उनकी मोटरसाईकिल को ठोस मार दिया, जिससे आहत मोहनलाल तथा घुड़नलाल को चोटें लगी, जिन्हें ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल बालाघाट ले जाते समय ग्राम उकवा के पास मोहनलाल की मृत्यु हो गई, तब घुड़नलाल को दूसरी गाड़ी से बालाघाट रवाना किये और मोहनलाल की लाश को ले गए। उक्त घटना को विजय कुमार सोनी, शम्भूदास धारवैया ने देखे हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता अजय कुमार सोनी ने थाना बैहर में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई, जिसे असल नंबर हेतु थाना गढ़ी भेजा गया, जहां पुलिस थाना गढ़ी द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/10, धारा-279, 337, 304 ए भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। मृतक मोहनलाल की मृत्यु के संबंध में मार्ग इंटीमेशन क्रमांक-05/10 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का परीक्षण करवाया गया तथा विवेचना के दौरान आहत घुड़नलाल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी श्यामकुमार से वाहन जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान आहत घुड़नलाल की चिकित्सीय रिपोर्ट में उसे अस्थिभंग होने तथा आरोपी द्वारा आहतगण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने व दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को न देने से अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 304(ए) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-10.02.2010 को रात्रि 10:30 बजे आरक्षी केन्द्र

बैहर अंतर्गत ग्राम गढ़ी में लोकमार्ग पर वाहन बोलेरो क्रमांक-एम. पी-50/टी-0221 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत घुड़नलाल को ठोस मारकर अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक मोहनलाल की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया एवं दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी ?

#### विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत घुड़नलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी श्यामकुमार को पहचानता है, जो उसके गांव के पास के गांव का है। घटना 10 फरवरी 2010 की रात्रि 10:00 बजे की है। उस समय वह अपनी मोटरसाईकिल हीरोहोन्डा पैशन क्रमांक-सी.जी-05/7827 से मोहन साहू के साथ अपने घर से रानी दुर्गावती चौक जा रहे थे। उस समय मोटरसाईकिल मोहन साहू चला रहा था और वह गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा था। उसी समय सामने से आरोपी श्यामकुमार जीप लेकर आ रहा था, जिसकी सिर्फ एक लाईट जल रही थी। आरोपी वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। वे लोग अपनी साईड से चल रहे थे, तभी आरोपी ने उन्हें टक्कर मार दी। उक्त टक्कर से वे लोग वहीं गिर गए थे। उक्त घटना के बाद आरोपी अपनी जीप को वहीं छोड़कर भागने लगा। गिरने से उसके घुटने में चोट आई थी और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसमें चिकित्सा उपरान्त रॉड डली है। उक्त दुर्घटना में मोहन साहू को जांघ के किनारे एवं सिर पर चोट आई थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। उन लोगों को विजय सोनी, रोशन खरे वगैरह ने जिला

चिकित्सालय बालाघाट ले गए थे। मोहन साहू की ईलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी थी और उसे जिला चिकित्सालय में ईलाज के दौरान नागपुर रिफर कर दिया गया। जब उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए ले जा रहे थे, तब रूपझर के रास्ते में मोहन की मृत्यु हो चुकी थी। नागपुर के चांडक नर्सिंग होम में उसका ईलाज हुआ था, जहां वह 10 दिन तक भर्ती रहा था। घटना के समय उनके पीछे मोटरसाईकिल में विजय सोनी था, जिसने घटना देखी थी। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था और बयान लिये थे, जो नागपुर से आने के बाद लिये थे।

6— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात की जानकारी नहीं होना बताया कि दुर्घटना के समय जीप की स्टेयरिंग फेल हो गई थी, इसलिए दुर्घटना कारित हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने बचाव पक्ष के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन के स्टेयरिंग फेल होने के तथ्य से इंकार नहीं किया है, बल्कि जानकारी न होना बताया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है।

7— विजय कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी श्यामकुमार को पहचानता है, जो खुर्शीपार का निवासी है। घटना 10 फरवरी 2010 की है। घटना के समय करीब 9:00 बजे थे। वह उस समय अपनी मोटरसाईकिल से रानी दुर्गावती चौक जा रहा था और उसके आगे एक मोटरसाईकिल पर मृतक मोहनलाल और घुड़नलाल जा रहे थे। मोटरसाईकिल मोहन चला रहा था। जब वे सोसाईटी के पास पहुंचे तो सामने से आरोपी श्यामकुमार जीप लेकर आ रहा था, जिसकी एक लाईट जल रही थी। आरोपी तेज गति से गाड़ी चला रहा था। मोहन साहू की गाड़ी से आरोपी की जीप टकरा गई थी, जिससे मोटरसाईकिल में सवार मोहन और घुड़न दोनों गिर पड़े। दुर्घटना की आवाज सुनकर वह भी हड़बड़ाहट में मोटरसाईकिल से गिर पड़ा था। उसे आरोपी की गाड़ी का नंबर याद नहीं है। घुड़न का दुर्घटना में पैर फ्रेक्चर हो गया था और मोहन साहू का एक हाथ और एक पैर टूट गया था तथा सिर में, जांघ में चोट थी। उसने उठकर आरोपी की जीप देखा तो वह लहराकर पास वाले मकान से टकरा गई थी, जो तिलकधारी का मकान था। उसने जीप के पास जाकर जीप चालक को देखा, जो आरोपी श्यामकुमार चला रहा था। उसने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर मोहन और घुड़न को कार में बैठाकर गद्दी में कम्पाउण्डर के

पास दिखाए। उसके बाद उसने आहत को शासकीय अस्पताल बैहर लाये, जहां ईलाज नहीं हुआ तो आहतगण को बालाघाट ले गए, बालाघाट जाते समय रास्ते में मोहन साहू की मृत्यु हो गई। आहत घुड़न का जिला चिकित्सालय बालाघाट में ईलाज हुआ था। उसके समक्ष घुड़नलाल की मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दुर्घटना के समय जीप की स्टेयरिंग फेल होने का सुना था, इसलिए दुर्घटना कारित हुई थी। साक्षी के शेष कथन के संबंध में उसके प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है।

9— बिन्दूबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानती। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष 4 दिन पूर्व की है। वह मृतक मोहन साहू, जो उसका पति था, माल लेने के लिए उसके गांव गढ़ी की किराना दुकान गया था। वह फोन आने पर घटनास्थल पर गई थी। उसके पति के पैर, हाथ एवं शरीर के अन्य भागों में चोट थी। घटनास्थल से उठाकर उन्हें गढ़ी के शासकीय अस्पताल ले गए। फिर वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर ले गए थे, परंतु डॉक्टर नहीं होने से बालाघाट ले गए। बालाघाट ले जाते समय आधे रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पति की दुर्घटना जीप से हुई थी। उसे जानकारी लगी थी कि उक्त वाहन जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वह छत्तरसिंह जो खुर्शीपार में रहते हैं की गाड़ी थी, उसके ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। इस प्रकार साक्षी ने अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं।

10— बसंत सिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी श्यामकुमार को पहचानता है। वह आहत एवं मृतक को नहीं पहचानता। एक-दो साल पहले उसे पता चला था कि बुलेरो वाहन से दूसरे गांव के दो लोगों को चोट आई थी, जिससे घुड़न फौत हो गया था। बस उसे इतनी ही जानकारी है। वह तीर्थ यात्रा पर गया था, वहां से जब वह वापस आया, तब श्यामकुमार ने बताया कि



उसके द्वारा बुलेरो से लग गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। जिस वाहन से दुर्घटना हुई वह उसकी ही गाड़ी है, जिसका नंबर एम. पी-50/एम-0221 है। गाड़ी का लायसेंस श्यामकुमार के नाम से है और गाड़ी वही चलाता है। उसके लड़के ने बताया कि वह जब जा रहा था, तब तीन लोग मोटरसाईकिल से आ रहे थे, तब टक्कर लग गई थी। उसने बताया था कि वह गाड़ी अपनी साईड से चला रहा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। इस प्रकार साक्षी ने अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना की जानकारी दी है।

11— श्यामकुमार (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी श्यामकुमार वह आहत घुड़नलाल तथा मृतक मोहनलाल को पहचानता है। उसके समक्ष घटनास्थल से एक बुलेरो गाड़ी जप्त हुई थी, जो सफेद कलर की थी, जिसका नंबर उसे मालूम नहीं है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष घटनास्थल से हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल भी जप्त हुई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस वालों के कहने पर जप्ती के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

12— शंभूदास (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी श्यामकुमार को पहचानता है। वह आहत घुड़नलाल एवं मृतक मोहन को पहचानता है। घटना लगभग दो साल पूर्व ग्राम गढ़ी की रात्रि 11:00 बजे की है। उस समय वह बैंक में था और आवाज आने पर वह उठकर गया तो देखा कि मोहन को गाड़ी में बैठा ल रहे थे और बता रहे थे कि ऐक्सीडेंट हो गया है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने उससे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे तथा पढ़कर नहीं बताए थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना कहां पर हुई थी, उसने यह नहीं दिखाया था। इस प्रकार साक्षी ने महत्वपूर्ण रूप से अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

13— जप्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के साक्षीगण धीरसिंह (अ.सा.8), छत्तरसिंह (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-7 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 की कार्यवाही के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

14— अशोक अग्निहोत्री (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी श्यामकुमार को पहचानता है। उसने दिनांक-18.02.2010 को वाहन बुलेरो क्रमांक-एम.पी-50/टी-0221 का परीक्षण किया था, जिसमें सामने का एक्सीलेटर, ब्रेक पीछे, टायर ठीक अवस्था में पाया। सामने का ब्रेक, साईड ग्लास, इंडिकेटर टूटा हुआ पाया। स्टेरिंग बाक्स, बाडी, बम्पर डेमेज पाया था। उसकी मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त वाहन का सामने का ब्रेक टूटा हुआ था और स्टेयरिंग फेल थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त वाहन के स्टेयरिंग फेल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।

15— डाक्टर डी.के. राउत (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-18.02.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-11.02.2010 को एक्सरे टेक्नीशियन के.के. सेन आहत घुड़नलाल पिता हंसलाल, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट की दाहिनी जांघ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-570 था, जिसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतु रिफर किया था। उक्त एक्सरे प्लेट उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने उसके दाहिने पैर की फीमर हड्डी में निचले तिहारी भाग में फ्रैक्चर होना पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने आहत घुड़नलाल को घटना के समय अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि की है।

16— डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.12) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि उसने पुलिस द्वारा मृतक मोहनलाल के शव का परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने सिर, खोपड़ी में अस्थिभंग होना, पैर में अस्थिभंग होना, फीमर में अस्थिभंग होना और पुट्टे में अस्थिभंग होना उसके मतानुसार मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्राव होना और शरीर के वर्टिकल पार्ट में अस्थिभंग होना था। उसके द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श

पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.पी. दुबे (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-12.02.2010 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-2/10, धारा-279, 337, 304 ए भा.द.वि. एवं धारा-134/187 मो.व्ही.एक्ट का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान शम्भूदास की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष एक बुलेरो वाहन क्रमांक-एम.पी-50/टी-0221 सफेद रंग की साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-05/7827 क्षतिग्रस्त हालत में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-12.02.2010 को साक्षी शम्भूदास, विजय कुमार, दिनांक-18.02.2010 को बसंत कुमार, दिनांक-14.03.2010 को श्रीमती बिन्दू, घुड़नलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।

18— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक-18.02.2010 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष उक्त बुलेरो वाहन के दस्तावेज जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 दर्शित अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी श्यामकुमार को साक्षी के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 के माध्यम से गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-14.03.2010 को उक्त क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल के नुकसानी के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-1 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा बुलेरो वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न है। आहत को चिकित्सक सहायता उपलब्ध न कराने से मो.व्ही.एक्ट की धारा-134/187 बढ़ाई गई थी। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।



19— घटना के महत्वपूर्ण साक्षी घुड़नलाल (अ.सा.1) ने अपने साक्ष्य में बताया कि घटना के समय सामने से आरोपी श्यामकुमार जीप लेकर आ रहा था, जिसकी सिर्फ एक लाईट जल रही थी। आरोपी वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। वे लोग अपनी साईड से चल रहे थे, तभी आरोपी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस तथ्य का समर्थन अन्य चक्षुदर्शी साक्षी विजय कुमार (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी श्यामकुमार घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को तेज गति से चला रहा था और उस समय वाहन का केवल एक लाईट ही जल रहा था। उक्त के कारण दुर्घटना कारित होना यह दर्शित करता है कि आरोपी श्यामकुमार का उक्त कृत्य वाहन उतावलेपन व उपेक्षा से चालन कर रहा था।

20— अभियोजन के ही अन्य साक्षी अशोक (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि दुर्घटना कारित वाहन का मुलाहिजा करने पर वाहन का ब्रेक व स्टेयरिंग फेल था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त वाहन का स्टेयरिंग फेल होने के कारण दुर्घटना हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने बचाव पक्ष का समर्थन करते हुए वाहन के मैकेनिकल खराबी से दुर्घटना होने के कथन किये हैं। वाहन के घटना के समय ब्रेक फेल होने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से घुड़नलाल (अ.सा.1) एवं विजय कुमार (अ.सा.2) के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है, जिसे उक्त साक्षीगण ने स्वीकार नहीं किया है। मैकेनिकल परीक्षण करने वाले साक्षी अशोक (अ.सा.10) घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होने से उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में वाहन के स्टेयरिंग फेल होने से दुर्घटना कारित होने की अधिसंभावना प्रकट की गई है। उक्त साक्ष्य को घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण घुड़नलाल (अ.सा.1) एवं विजय कुमार (अ.सा.2) के कथनों के विरुद्ध खण्डन हेतु ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी विजय कुमार (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि घटना के समय आरोपी की जीप लहराकर पास वाले मकान से टकरा गई थी। ऐसी दशा में उक्त वाहन के मकान से टकराने के पश्चात् स्टेयरिंग व ब्रेक फेल होना संभावित है, किन्तु उक्त यांत्रिकी खराबी के कारण दुर्घटना कारित होने की संभावना प्रकट नहीं होती है।

21— प्रकरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण आहत घुड़नलाल (अ.सा.1) व चक्षुदर्शी साक्षी विजय कुमार (अ.सा.2) की साक्ष्य अखण्डित रही है, जिन्होंने अभियोजन

का समर्थन करते हुए आरोपी के द्वारा वाहन को केवल एक लाईट चलाकर तेज गति से चलाते हुए मोटरसाईकिल में सवार आहत घुड़नलाल व मोहनलाल को टक्कर मारकर गिरा दिया, आरोपी का उक्त कृत्य वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षा से चालन करने की श्रेणी में आता है, जिसके फलस्वरूप आहत घुड़नलाल को घोर उपहति कारित हुई एवं मृतक मोहनलाल की मृत्यु हो गई।

22— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.पी. दुबे (अ.सा.11) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि आहत को चिकित्सक सहायता उपलब्ध न कराने से आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 बढ़ाई गई है। उक्त तथ्य का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भी प्रमाणित है कि आरोपी ने घटना के समय आहतगण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया एवं दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी।

23— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन बोलेरो क्रमांक-एम. पी-50/टी-0221 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत घुड़नलाल को ठोस मारकर अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया तथा मृतक मोहनलाल की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती एवं आहतगण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया एवं दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

24— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

**पश्चात्—**

25— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

26— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:—

धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड —	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
279 भा.द.वि.	6 माह का साधारण कारावास	—	—
338 भा.द.वि.	6 माह का साधारण कारावास	—	—
304 (ए) भा.द.वि.	एक वर्ष का साधारण कारावास	1000 / —	एक माह का साधारण कारावास
134 / 187 मो. व्ही. एक्ट	3 माह का साधारण कारावास	—	—

27— आरोपी को दी गई सभी कारावास की सजा एक साथ भुगताई जावे।

28— आरोपी के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

29— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, जिसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

30— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बुलेरो क्रमांक-एम.पी-50/टी-0221 मय दस्तावेज के बसन्तसिंह टेकाम पिता बुधसिंह टेकाम, जाति गोंड, निवासी ग्राम खुर्शीपार,

थाना बैहर जिला बालाघाट म.प्र. को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)